# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

| दावा संख्या | रजू दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 3240 / 2015 | 21.07.2015 | 02.12.2024 |

उनवान

1. रामसिंह पुत्र छोटेलाल
2. रमेश देवी पत्नी रामसिहं जाति अहीर नि० ग्राम बीरनवास तह० नीमराना जिला अलवर राजस्थान।

वादीगण।

बनाम

1. रतनलाल पुत्र छोटेलाल जाति अहीर
2. सरोज देवी पत्नी रतनलाल
3. रामबाई पत्नी भगवानसिहं
4. बबरीभान पुत्र भगवानसिहं
5. टेकचंद पुत्र भगवानसिहं
6. हवासिहं पुत्र भगवानसिहं
7. उदयसिहं पुत्र भगवानसिहं
8. विनोद पुत्र भगवानसिहं
9. सविता पुत्री भगवानसिहं
10. इतरज पुत्री भगवानसिहं
11. सुवेदेवी पत्नी बबरीभान
12. रमेश देवी पत्नी टेकचंद
13. रामभुतेरी पत्नी हवासिहं
14. मंजू देवी पत्नी उदयसिहं
15. उर्मिला पत्नी विनोद कुमार समस्त जाति अहीर नि० बीरनवास तह० नीमराना जिला अलवर राज०
16. उप पंजीयक मांढण।
17. लैण्ड होल्डर तहसीलदार नीमराना।

**प्रतिवादीगण**

**दावा तकसीम आराजी, हुक्म इम्तनाई दवामी।**

उपस्थिति :–

1. श्री हरसराज यादव अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

**–निर्णयः–**

वादी का वाद रहा कि–

1. पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी ख०नं० हाल 305 / 0.40, 308 / 0.44, 310 / 1.48 हैक्ट. वाके ग्राम बसईभोपालसिंह तह० नीमराना में स्थित है। विवादित आराजी में वादीगण का 1 / 4 भाग व प्रतिवादी सं. 1 2 का 1 / 4 भाग व 1 / 4 भाग प्रतिवादी सं 3 लगा. 10 का व 1 / 4 भाग प्रतिवादी सं. 11 लगा. 15 का है। तथा वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपने कब्जा काश्त की सहुलियत से आपस में बाहमी बंटवारा कर रखा है। जिससे ख०नं० 308 / 0.44 हैक्ट. सालिम व ख०नं० 305



उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपुतली-बहरोड़)

रकबा 40 ऐयर मे से 14 ऐयर रकबा तरफ उत्तर का ख0नं0 308 के साथ लगता हुआ वादीगण के हिस्से मे आया हुआ है। जिसमें वादीगण ने ख0नं0 308 में कुवा बना रखा है तथा मकानात बना रखे है। तथा ख0नं0 305/0.40 हैक्ट में से 26 ऐयर रकबा तरफ दक्षिण का व ख0नं0 310 रकबा 1.48 हैक्ट मे से 32 ऐयर तरफ दक्षिण का प्रतिवादी सं. 1.2 के हिस्से मे आया है तथा ख0नं0 310 रकबा 1.48 हैक्ट. में से 1.16 हैक्ट रकबा तरफ दक्षिण का प्रतिवादी सं. 3 लगा. 15 के हिस्से में आया हुआ है तथा इसी प्रकार से मौके पर काबिज है। आराजी मुतनाजा का मौके पर तो वादी व प्रतिवादीगण द्वारा कदीम से बाहमी बंटवारा कर रखा है और मौके पर काबिज भी है लेकिन राजस्व रिकार्ड मे आराजी मुतनाजा सहखातेदारी की बिना बटी हुयी दर्ज है जिससे हर खातेदार को काश्त करने या अपने हिस्से का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बेचान करने मे कानूनी अड़चन आती है जिससे भारी परेशानी होती है ऐसी सूरत मे आराजी मुतनाजा का अलग अलग तकासमा होना कानूनी रूप से आवश्यक है। इसलिय वादी द्वारा यह दावा सही तथ्यों के आधार पर पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को आराजी मुतनाजा का मौके के मुताबिक तकसीम कर अलग अलग खाताबंदी करवाने के लिए कई बार कहा लेकिन प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा का तकासमा करवाने के लिए तैयार नहीं है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी मे अच्छी अच्छी भूमि को अपनी बताकर दीगर जगह मुन्तकील करने की धमकी देते है। यदि प्रतिवादीगण इस मकसद में कामयाब हो गये तो वादी को भारी हानि उठानी होगी। इसलिय दावा पेश किया जाना लाजिम आया है।

2 वादी ने अनुतोष चाहा है कि:-

(क) यह कि डिकी तकसीम आराजी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जावे कि वादी को आराजी ख०नं० 308/0.44 हैक्ट वाके ग्राम बसईभोपालसिहं सालिम से प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 15 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को सालिम का व ख0नं0 305 रकबा 40 ऐयर वाके ग्राम बसईभोपालसिहं में से 14 ऐयर रकबा तरफ उत्तर का जो ख0नं0 308 के साथ लगता हुआ है से प्रतिवादी सं. 1 लगा. 15 का नाम कलमजन किया जाकर 14 ऐयर रकबा का अलग से बटा नम्बर कायम किया जाकर अलग से खाताबंदी कर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा ख0नं0 305 रकबा 40 ऐयर मे से 26 एयेर रकबा तरफ दक्षिण में से वादीगण व प्रतिवादी सं. 3 लगा. 15 का नाम कलमजन किया जाकर 26 ऐयर का बटा नमबर डालकर व ख0नं0 310 रकबा 1.48 हैक्ट. वाके ग्राम बसईभोपालसिहं में से 32 ऐयर रकबा तरफ दक्षिण से वादी व प्रतिवादीसं. 3 लगा. 15 का नाम कलमजन किया जाकर 32 ऐयर रकबा का अलग से बटा नम्बर डालकर प्रतिवादी सं. 1.2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा ख0नं0 310 रकबा 1.48 हैक्ट. में से 1.16 हैक्ट रकबा तरफ उत्तर से वादी व प्रतिवादी सं. 1.2 का नाम कलमजन किया जाकर 1.16 हैक्ट का अलग से प्रतिवादी सं. 3 लगा. 15 को मुताबिक हिस्से के खातेदार दर्ज किया जावे तथा इसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे ।

(ख) यह कि प्रतिवादीगण को जरिये डिग्री हुक्म इम्तनाई दवामी पाबंद फरमाया जावे कि आराजी मुतनाजा का विधिवत तकासमा नही हो तब तक प्रतिवादीगण अच्छे से अच्छे हक व हिस्से पर जबरन कब्जा नही करे, वादीगण को बेदखल नहीं करे। वादी के कब्जा काश्त खातेदारी में फसल बोने काटने में कोई किसी प्रकार से मजाहमत पैदा नहीं करे ना ही दीगर लोगो को मुन्तकील करे।

3 वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी करवाई गई। सम्यक तामील हुई। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुये लिहाजा एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। वादी ने वाद पत्र की ताहिद में दस्तावेजात यथा नकल जमाबंदी संवत 2067-70 नक्शा ट्रेस, खसरा गिरदावरी संवत 2070 पेश किये है जो शामिल पत्रावली है। इसके पश्चात वकील वादी की बराह सुनी जाकर उक्त वाद दिनांक 27.

उपखण्ड अधिकारी
वीरगा (कोटपूतली-बहरोड़)

02.2020 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार नीमराना को मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति मे आराजी विवादित के नियमानुसार अच्छी मे अच्छी व बुरी मे बुरी भूमि के कुर्रे कायम कर कुर्रे कायमी रिपोर्ट भिजवाये जाने के आदेश दिये गये।

4. तहसीलदार मांढण ने अपने पत्र कमांक भू0अ0/24/1829 दिनांक 23.08.2024 के द्वारा कुर्रे कायमी रिपोर्ट भिजवायी गयी जो शामिल पत्रावली की जाकर वकील वादीगण की बहस सुनी गई वकील वादीगण ने वाद को मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वाद वादीगण मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट बाबत तकासमा आराजी अंतिम डिक्री किया जाना कानून सम्मत व न्यायोचित प्रतित होता है।

5. अतः आदेश है कि:- वाद वादीगण बावत तकासमा आराजी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट डिक्री किया जाता है कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी वाके ग्राम बराई भोपालसिंह तह.नीमराना हाल तह0 मांढण उनके कब्जे काश्त खातेदारी मे निम्नानुसार रहेगी :-

| क्र.स. | | नाम खातेदार | ख.नं. | रकबा | वि0वि0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [illegible]तरज पुत्री भगवानसिंह हिस्सा 1/16 जाति अहीर सा0बीरनवास | 305 | 0.40 हैक्ट0 | ब0दोयम |
| | 2 | उदयसिंह पुत्र भगवानसिंह हिस्सा 1/16 जाति अहीर सा0बीरनवास | 308 | 0.44हैक्ट | |
| | 3 | उर्मिला देवी पत्नी विनोद कुमार हिस्सा 1/10 जाति अहीर सा0 बीरनवास | 310/1 | 0.32 हैक्टर | |
| | 4 | टेकचन्द पुत्र भगवानसिंह हिस्सा 1/16 जाति अहीर सा0 बीरनवास | | | |
| | 5 | बबरीभान पुत्र भगवानसिंह हिस्सा 1/16 जाति अहीर सा0बीरनवास | | | |
| | 6 | मंजू देवी पत्नी उदयसिंह हिस्सा 1/10 जाति अहीर सा0बीरनवास | | | |
| | 7 | रमेश देवी पत्नी टेकचन्द हिस्सा 1/10 जाति अहीर सा0 बीरनवास | | | |
| | 8 | [illegible]मबाई पत्नी भवानसिह हिस्सा 1/16 जाति अहीर सा0 बीरनवास | | | |
| | 9 | रामभूतेरी पत्नी हवासिंह हिस्सा 1/160 जाति अहीर सा0बीरनवास | | | |
| | 10 | विनोद पुत्र भवानसिह हिस्सा 1/16 जाति अहीर सा0 बीरनवास | | | |
| | 11 | [illegible]वेदेवी पत्नी बबरीभान हिस्सा 1/10 जाति अहीर सा0बीरनवास | | | |
| | 12 | सविता पुत्री भगवानसिंह हिस्सा 1/16 जाति अहीर सा0बीरनवास | | | |
| | 13 | हवासिंह पुत्र भगवानसिंह हिस्सा 1/16 जाति अहीर सा0बीरनवास | | | |
| | | | किता 03 | रकबा 1.16 हैक्0 | |
| 2 | 1 | [illegible]नसिंह पुत्र छोटेलाल हिस्सा 1/2 जाति अहीर सा0 बीरनवास खातेदार रहिन हिस्सा 1/2(पूर्ण खाता बीओबी नीमराना) | 310/2 | 0.58 हैक्0 | ब0दोयम |
| | 2 | रमेश देवी पत्नी रामसिंह हिस्सा 1/2 जाति अहीर सा0 बीरनवास खातेदार रहिन हिस्सा 1/2(पूर्ण खाता बीओबी नीमराना) | | | |
| | | | किता 01 | रकबा 0.58 हैक्0 | |
| 3. | 1 | रतनलाल पुत्र छो[illegible] हिस्सा 1/2 जाति अहीर सा0 बी[illegible]स खातेदार | 310/3 | 0.58 हैक्ट0 | ब0दोयम |

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (कोटपुतली-बहरोड़)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2. सरोज देवी पत्नी [illegible]लाल हिस्सा 1/2 जाति अहीर सा0 [illegible]नवारा खातेदार | | | |
| | | किता 01 | रकबा 0.58 हैक्0 | |

उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार हो कर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक-कलेक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपुतली-बहरोड़)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

| दावा संख्या | रजू दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 3240/2015 | 21.07.2015 | 02.12.2024 |

उनवान

1. रामसिहं पुत्र छोटेलाल
2. रमेश देवी पत्नी रामसिहं जाति अहीर नि० ग्राम वीरनवास तह० नीमराना जिला अलवर राजस्थान।

वादीगण।

बनाम

1. रतनलाल पुत्र छोटेलाल जाति अहीर
2. सरोज देवी पत्नी रतनलाल
3. रामबाई पत्नी भगवानसिहं
4. बबरीभान पुत्र भगवानसिहं
5. टेकचंद पुत्र भगवानसिहं
6. हवासिहं पुत्र भगवानसिहं
7. उदयसिहं पुत्र भगवानसिहं
8. विनोद पुत्र भगवानसिहं
9. सविता पुत्री भगवानसिहं
10. इतरज पुत्री भगवानसिहं
11. सुवेदेवी पत्नी बवरीभान
12. रमेश देवी पत्नी टेकचंद
13. रामभुतेरी पत्नी हवासिहं
14. मंजू देवी पत्नी उदयसिहं
15. उर्मिला पत्नी विनोद कुमार समस्त जाति अहीर नि० बीरनवास तह० नीमराना जिला अलवर राज०
16. उप पंजीयक गांढण।
17. लैण्ड हेाल्डर तहसीलदार नीमराना।

प्रतिवादीगण

दावा तकसीम आराजी, हुक्म इम्तनाई दवामी।

## –::पर्चा डिक्री::–

वाद वादीगण बावत तकासमा आराजी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक कुर्रे कायगी रिपोर्ट डिक्री किया जाता है कि पक्षकारान के नाम के सगुंख अंकित आराजी वाके ग्राम सराई गोपालसिंह तह.नीमराना हाल तह0 गांढण उनके कब्जे काश्त खातेदारी मे निम्नानुसार रहेगी :–

| क्र.सं. | नाम खातेदार | ख.नं. | रकबा | वि0वि0 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. इतरज पुत्री भगवानसिंह हिस्सा 1/16 जाति अहीर सा0वीरनवास | 305 | 0.40 हैक0 | चाहीयम |
| | 2. उदयसिंह पुत्र भगवानसिंह हिस्सा 1/16 जाति अहीर सा0वीरनवास | 308 | 0.44हैक्ट | |
| | 3. उर्मिला देवी पत्नी विनोद कुमार हिस्सा 1/10 जाति अहीर सा0 वीरनवास | 310/1 | 0.32 हैक्टर | |
| | 4. टेकचन्द पुत्र भगवानसिंह हिस्सा 1/16 जाति अहीर सा0 वीरनवास | | | |
| | 5. बवरीभान पुत्र भगवानसिंह हिस्सा 1/16 जाति अहीर सा0वीरनवास | | | |



उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 6. गंजू देवी पत्नी उदयसिंह हिस्सा 1/10 जाति अहीर सा0वीरनवास<br>7. रमेश देवी पत्नी टेकचन्द हिस्सा 1/10 जाति अहीर सा0 बीरनवारा<br>8. रामबाई पत्नी भवानसिंह हिस्सा 1/16 जाति अहीर सा0 बीरनवारा<br>9. रामभूतेरी पत्नी हवासिंह हिस्सा 1/160 जाति अहीर सा0वीरनवारा<br>10. विनोद पुत्र भवानसिंह हिस्सा 1/16 जाति अहीर सा0 बीरनवारा<br>11. सुबेदेवी पत्नी बबरीभान हिस्सा 1/10 जाति अहीर सा0वीरनवास<br>12. सविता पुत्री भगवानसिंह हिस्सा 1/16 जाति अहीर सा0वीरनवारा<br>13. हवासिंह पुत्र भगवानसिंह हिस्सा 1/16 जाति अहीर सा0वीरनवारा | | | |
| | | किता 03 | रकबा 1.16 हैक0 | |
| 2. | 1. रामसिंह पुत्र छोटेलाल हिस्सा 1/2 जाति अहीर सा0 बीरनवारा खातेदार राहिन हिस्सा 1/2(पूर्ण खाता बीओबी नीमराना)<br>2. रमेश देवी पत्नी रामसिंह हिस्सा 1/2 जाति अहीर सा0 बीरनवारा खातेदार राहिन हिस्सा 1/2(पूर्ण खाता बीओबी नीमराना) | 310/2 | 0.58 हैक0 | ब0दोयम |
| | | किता 01 | रकबा 0.58 हैक0 | |
| 3. | 1. रतनलाल पुत्र छोटेलाल हिस्सा 1/2 जाति अहीर सा0 बीरनवारा खातेदार<br>2. सरोज देवी पत्नी रतनलाल हिस्सा 1/2 जाति अहीर सा0 बीरनवारा खातेदार | 310/3 | 0.58 हैक्ट0 | ब0दोयम |
| | | किता 01 | रकबा 0.58 हैक0 | |

उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे

महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)